न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर, जिला अजमेर

रसद प्रार्थना पत्र संख्या 26/2025

राजस्थान सरकार जरिये रेणुका चतुर्वेदी, प्रवर्तन अधिकारी, अजमेर।

........प्रार्थी

बनाम

श्री परवेज पुत्र सिराजुद्दीन
निवासी आनासागर चौकी के पीछे भट्टे वाली गली, अजमेर .....अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955

उपस्थितः श्रीमती रेणुका चतुर्वेदी, प्रवर्तन अधिकारी – पैरोकार सरकार

आदेश

दिनांक 11.06.2025

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 29.01.2025 को जिला कलक्टर के निर्देशानुसार घरेलू गैस सिलेण्डरों के अवैध दुरूपयोग एवं गैस रिफिलिंग रोकथाम अभियान के तहत जांच दल रतन कौर जिला रसद अधिकारी (प्रथम) नीरज कुमार जैन जिला रसद अधिकारी (द्वितीय), भंवर सिंह राठौड़ डी.सी.पी.ओ, रेणुका चतुर्वेदी प्रवर्तन अधिकारी, अतुल बडाया प्रवर्तन निरीक्षक आनासागर चौकी के सामने भट्टे वाली गली में स्थित श्री परवेज पुत्र सिराजुद्दीन के गोदाम पर पहुँचा। मौके पर परवेज मौजूद मिला। मौके पर बिना प्लास्टर किया हुआ भवन था जिसमें दो आईसक्रीम के ठेले खडे हुए थे। अंदर की ओर एक कमरा बना जिसमें 05 घरेलू सिलेण्डर तथा 03 व्यावसायिक सिलेण्डर बरामद हुए। मौके पर दो विद्युत चलित मोटर जिसमें विद्युत तार तथा एक तरफ नोब वाला रेग्यूलेटर लगा पाया गया, भी मिले। परवेज द्वारा गैस सिलेण्डर के संदर्भ में कोई सन्तोषजनक जवाब मौके पर दिया गया। मौके पर सिलेण्डरो व इलेक्ट्रिक रिफिलिंग मशीनो का भण्डारण पाया जाना यह सिद्ध करता है कि इनके बारे में अवैध रूप से गैस रिफिलिंग की जो शिकायत मिली थी वह सही थी। अप्रार्थी का यह कृत्य एल.पी.जी आदेश 2001 की धारा 3 (1)(2) एवं (3) का स्पष्ट उल्लंघन है, जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। मौके पर श्री लक्ष्मण सिंह पुत्र देवी सिंह प्रतिनिधि, एस.के.एम होम एपलायसेंज गैस एजेन्सी, अजमेर को बुलवा कर कांट से वजन करवाने पर सिलेण्डर का विवरण निम्नानुसार पाया गया:-

S.NO.	S.R.NO.	CO.	T.W.	G.W.	N.W.GAS
1	492443	BPCL	15.6	29.5	13.9
2	096361	BPCL	15.4	29.5	14.1
3	212146	BPCL	16.3	30.5	14.2
4	554647	BPCL	15.9	30.1	14.2

लोक बंधु
जिला कलक्टर अजमेर

5	507581	BPCL	15.4	20.2	4.8
6	83598	BPCL	19.4	19.7	0.3
7	300341	HPCL	19.0	19.0	0
8	019872	Indane	19.6	19.6	0

सिलेण्डर को श्री लक्ष्मण सिंह पुत्र देवी सिंह प्रतिनिधी, एस.के.एम होम एपलायसेंज गैस एजेन्सी अजमेर को आगामी आदेश तक सुरक्षित रखने हेतु सुपुर्दगी में दिए गए जिसका सुपुर्दगीनामा अलग से लिखा गया। अतः अतः आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 ए के तहत जब्तशुदा 8 गैस सिलेण्डर, 02 विद्युत चलित रिफिलिंग मशीन मय 61.5 किग्रा एलपीजी को राजसात करने हेतु प्रस्तुत किया गया।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी नोटिस तामिल बावजूद गैर हाजिर। पेरोकार सरकार द्वारा सुनवाई चाहने पर एकपक्षीय बहस सुनी गयी।

पैरोकार सरकार ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि दिनांक 29.01.2025 को जांच दौरान अप्रार्थी द्वारा अपने स्थल पर घरेलू गैस सिलेण्डरों एवं व्यावसायिक सिलेण्डर का व्यावसायिक दुरूपयोग किया जाना पाया गया। मौके पर 05 घरेलू गैस सिलेण्डर एवं 3 व्यावसायिक एवं 02 विद्युत चलित रिफिलिंग मशीन पाये गये। अप्रार्थी द्वारा गैस सिलेण्डर के संदर्भ में कोई कागजात मौके पर प्रस्तुत नहीं किए गये ना ही सिलेण्डर भण्डारण का कोई सन्तोषजनक जवाब मौके पर दिया गया। अप्रार्थी का यह कृत्य एल.पी.जी आदेश 2000 की धारा 3 (1) सी का स्पष्ट उल्लंघन है, जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। जब्तशुदा 05 घरेलू गैस सिलेण्डर एवं 3 व्यावसायिक एवं 02 विद्युत चलित रिफिलिंग मशीन एवं 61.5 किग्रा एल.पी.जी को राजसात फरमावें।

हमने बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। वरवक्त जांच अप्रार्थी द्वारा एल.पी.जी. गैस सिलेण्डरों का व्यावसायिक उपयोग तथा जांच में असहयोग किया जाना पाया गया। प्रार्थी की जांच कार्यवाही दिनांक 29.01.2025 में अप्रार्थी के उपरोक्त अवैद्य कृत्य स्वतः ही साबित है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा कब्जेराज लिये गये जब्तशुदा पांच घरेलू गैस सिलेण्डर एवं 3 व्यावसायिक एवं 02 विघुत चलित रिफिलिंग मशीन एवं 61.5 किग्रा एल.पी.जी को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6ए के तहत राजसात किया जाता है। चूंकि सिलेण्डर को संबन्धित कम्पनी अमानत राशि लेकर नये उपभोक्ताओं को जारी करेगी। अतः पूर्व में जमा अमानत राशि राजकोष में जमा करवाई जावें।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 11.06.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

(लोक बंधु)
जिला कलक्टर,अजमेर